

## तेलंगाना में वशिषाधिकार प्राप्त समूहों के भूमिआवंटन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने तेलंगाना सरकार द्वारा संसद सदस्यों (MP), विधिन सभा सदस्यों (MLA), सविलि सेवकों और पत्रकारों वाली सहकारी समितियों को भूमिआवंटन को [संवधान के अनुच्छेद 14](#) के तहत समानता का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने रणियती दरों पर वशिषाधिकार प्राप्त समूहों को भूमिआवंटन की आलोचना की, जिसमें हाशयि पर पडे समुदायों की अपेक्षा पहले से ही वशिषाधिकार प्राप्त लोगों को तरज़ीह दी गई।
  - न्यायालय ने चेतावनी दी कि दुर्लभ भूमि संसाधनों के इस तरह के आवंटन से असमानता पैदा होती है और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में इसके व्यापक आर्थिक नहितार्थ होते हैं।
- नरिणय में इस नीति को सत्ता का दुरुपयोग बताया गया, जिससे नीति निर्माताओं और उनके साथियों को लाभ मलि रहा है, जबकि "योग्य वर्गों" की सहायता के नाम पर सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
  - सत्ता का दुरुपयोग कसिी वधायी नकिय द्वारा की गई ऐसी कार्यवाहियों को संदर्भति करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में संवैधानिक सीमाओं या सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को याद दलियाया कि राज्य नागरिकों के लयि ट्रस्ट के रूप में संसाधन रखता है तथा उसके कार्यों का उद्देश्य चुनदि समूहों को लाभ पहुँचाने के बजाय जनहति में होना चाहयि।

और पढें: [मौलिक अधिकार \(भाग- 1\)](#)